



सत्यमेव जयते



भादूविप्रा  
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

त्रैमासिक  
ई-समाचार पत्र

(जनवरी-मार्च) 2026



# इस अंक में..

अध्यक्ष की कलम से	03
मुख्य आकर्षण	05
गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	09
• परामर्श पत्र	10
• अनुशंसाएं	11
• ओपन हाउस चर्चा	12
• निर्देश	13
जन-जागरूकता पहल	14
स्पैम पर कार्रवाई	15
विभिन्न आयोजनों में भादूविप्रा	20
• अंतरराष्ट्रीय आयोजन	22
• राष्ट्रीय आयोजन	23
भादूविप्रा राजभाषा कार्यक्रम	25
मोबाइल नेटवर्क के ड्राइव टेस्ट	27
उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम	31
उपभोक्ता आधार	33
• दूरसंचार उपभोक्ता	34
• ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	35
क्षमता निर्माण	38
मानव संसाधन (एच.आर. कॉर्नर)	41
अन्य गतिविधियाँ	43





# अध्यक्ष की कलम से

श्री अनिल कुमार लाहोटी  
त्रैमासिक समीक्षा:  
जनवरी – मार्च, 2026

भारत के संचार ईकोसिस्टम में विनियामक प्रयास निरंतर पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं में उपभोक्ताओं के लिए सेवा गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहे हैं।

वर्ष 2026 की प्रथम तिमाही के दौरान, उपभोक्ता हितों के दृष्टिकोण से उनकी सहभागिता बढ़ाने तथा सेवा पारदर्शिता में सुधार हेतु विभिन्न पहलें की गईं। विनियामक स्तर पर, सेवा प्रदाताओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहक सेवा संबंधी जानकारी को अधिक स्पष्ट एवं प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के प्रावधानों को अनिवार्य बनाकर शिकायत निवारण तंत्र की पहुँच को बेहतर बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए।

अपग्रेड किए गए **DND** तथा **MySpeed application** को स्पैम रिपोर्टिंग, प्रेषक पहचान तथा वास्तविक समय में नेटवर्क कार्य-निष्पादन के आकलन जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ प्रस्तुत किया गया। इन उपायों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सूचित सहभागिता (Informed participation) को सुदृढ़ करना तथा अनचाहे वाणिज्यिक संचार की अधिक प्रभावी निगरानी में योगदान देना है।

तिमाही के दौरान, दूरसंचार, प्रसारण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड-इंफ्रास्ट्रक्चर और उपग्रह-आधारित प्रणालियों में बढ़ते एकीकरण के साथ संचार अवसंरचना की विकसित प्रकृति पर भी जोर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में, दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर हितधारकों के साथ सहभागिता को आगे बढ़ाया गया। **ट्राई-एसटीपीआई प्री-समित प्रोग्राम** तथा **इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026** के दौरान नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, सर्विस डिलीवरी एवं सब्सक्राइबर इंटरफेस में एआई के उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया। इन चर्चाओं से एआई-आधारित प्रणालियों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुरक्षा तथा व्याख्या शीलता (Explainability) से संबंधित प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता एक प्रमुख निष्कर्ष के रूप में उभरकर सामने आई।

इस तिमाही में स्पेक्ट्रम नीति तथा भविष्य के नेटवर्क की तैयारी के क्षेत्र में भी प्रगति देखी गई। विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स, जिनमें अगली पीढ़ी की सेवाओं से संबंधित नए पहचाने गए बैंड्स भी शामिल हैं, में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में अनुशांसाएं प्रस्तुत की गईं। इन अनुशांसाओं से मोबाइल ब्रॉडबैंड के विस्तार को निरंतर समर्थन मिलने, नेटवर्क सघनता को बढ़ावा मिलने और उभरते 5G उपयोग मामलों तथा भविष्य के 6G विकास के लिए आधार सुदृढ़ होने की अपेक्षा की गई है।

इस तिमाही के दौरान भवनों एवं संपत्तियों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के कार्य में भी प्रगति देखी गई। **डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024** की समीक्षा के लिए एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें हितधारकों की प्रतिक्रिया तथा कार्यान्वयन अनुभव को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावित परिष्करणों का उद्देश्य बारीकियों को बढ़ाना, पारदर्शिता में सुधार करना और योजना और विकास प्रक्रियाओं में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के एकीकरण का समर्थन करना है।

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम तथा हितधारक संपर्क गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जारी रहीं। सेवा गुणवत्ता, अवसंरचना जागरूकता एवं उपभोक्ता अधिकारों पर केंद्रित सेमिनारों एवं संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे विनियामक प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित हुई तथा सूचित उपभोक्ता सहभागिता की भावना को प्रोत्साहन मिला।

शहरों, जिलों एवं राजमार्गों में आयोजित इंडीपेंडेंट ड्राइव टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकियों में वास्तविक नेटवर्क कार्य-निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। ये आकलन सेवा गुणवत्ता के बेंचमार्क निर्धारण तथा वास्तविक उपयोग परिस्थितियों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।

**भादूविप्रा स्थापना दिवस 2026** के अवसर पर विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाया गया, जहाँ टेलीविजन एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्क स्लाइसिंग तथा नेट न्यूट्रैलिटी जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इन चर्चाओं में प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ-साथ खुलापन, निष्पक्षता एवं समान पहुंच के सिद्धांतों के संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तिमाही की प्रगति के आधार पर दूरदर्शी विनियामक ढांचे को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा जो तकनीकी अभिसरण (Technological convergence) का समर्थन करता है, सेवा की गुणवत्ता को मजबूत करता है और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करता है। तेजी से बढ़ते डेटा-संचालित संचार वातावरण में बुनियादी ढांचे की तैयारी, बुद्धिमान प्रणालियों और नियामक सुसंगतता को सँरेखित करने पर जोर दिया जाता है

इस तिमाही में हुई प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) भविष्य उन्मुख विनियामक ढाँचों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहेगा, जो कि टैक्नोलोजिकल कन्वर्जेस को सपोर्ट करे, सेवा गुणवत्ता को सुदृढ़ करें तथा उपभोक्ता विश्वास को और मजबूत करें। तेजी से बढ़ते डेटा-संचालित संचार वातावरण(data-driven communications environment) में बुनियादी ढांचे की तैयारी, इंटीलीजेंट सिस्टम और विनियामक समन्वय के बीच संतुलन स्थापित करना प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी।

मुख्य आकर्षण

ट्राई-एसटीपीआई प्री-समित कार्यक्रम में “दूरसंचार में एआई” विषय पर नेटवर्क रूपांतरण और ग्राहक अनुभव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अत्याधुनिक अनुप्रयोगों पर चर्चा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के सहयोग से 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के ईस्ट किडवई नगर स्थित एसटीपीआई कॉन्फ्रेंस सुविधा में “इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026” के अंतर्गत “दूरसंचार में एआई” विषय पर एक प्री-समित कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, ओईएम, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र यह रहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) किस प्रकार दूरसंचार नेटवर्क, सेवा प्रदायगी और ग्राहक सहभागिता के भविष्य को नया स्वरूप दे रही है। कार्यक्रम ने वास्तविक उपयोग मामलों, नीतिगत विचारों और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। यह चर्चा ऐसे समय में विशेष रूप से प्रासंगिक रही, जब भारत एआई-संवर्धित डिजिटल अवसंरचना की दिशा में आगे बढ़ रहा है।



कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कविता भाटिया, वैज्ञानिक ‘जी’, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY); लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोच्छर, महानिदेशक, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI); डॉ. राजकुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी-डॉट; तथा प्रोफेसर रजत मूना, निदेशक, आईआईटी गांधीनगर द्वारा विशेष संबोधन दिए गए। वक्ताओं ने दूरसंचार मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित किया और सुरक्षित तैनाती, स्वदेशी एआई अनुसंधान तथा भविष्य के लिए तैयार नेटवर्कों के समर्थन हेतु क्षमता निर्माण के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

[https://tra.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR\\_No.08of2026.pdf](https://tra.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR_No.08of2026.pdf)

“दूरसंचार में उत्तरदायी एआई” विषय पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भादूविप्रा द्वारा आयोजित सत्र—डिजिटल सुदृढ़ता, शासन एवं नेटवर्क परिवर्तन पर केंद्रित

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंतर्गत “दूरसंचार में उत्तरदायी एआई” विषय पर एक सत्र आयोजित किया। इस सत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, उद्योग संघों तथा सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार नेटवर्क और उपभोक्ता-केंद्रित एप्लिकेशनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के लिए नीतिगत एवं परिचालन दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करना था। यह सत्र समिट के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय उद्योग संगठनों और वैश्विक हितधारकों की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम ने एक ऐसे मंच के रूप में कार्य किया, जहाँ विश्वास, उत्तरदायित्व एवं सुरक्षा जैसे शासन संबंधी प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया, साथ ही नेटवर्क संचालन, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा प्रदायगी में एआई के जिम्मेदार विस्तार के लिए नवाचारपूर्ण मार्गों पर भी चर्चा हुई। चर्चाओं में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि एआई और दूरसंचार के बीच बढ़ता अभिसरण अब नेटवर्क डिजाइन, संचालन तथा उपभोक्ता अनुभव को आकार देने वाली एक मूलभूत आधारशिला के रूप में उभर रहा है।



कार्यक्रम के अंतर्गत दो केंद्रित पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें दूरसंचार क्षेत्र में एआई के एकीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया। पहली चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि नेटवर्क को किस प्रकार विकसित किया जाए ताकि उसमें एआई क्षमताओं का जिम्मेदारीपूर्वक समावेश किया जा सके, जबकि दूसरी चर्चा एआई-आधारित दूरसंचार परिचालनों में उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित रही। इन दोनों चर्चाओं के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि एक ओर नेटवर्क की बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर एआई-सक्षम ईकोसिस्टम में उपभोक्ता विश्वास बनाए रखना समान रूप से महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

पहली पैनल चर्चा “एआई युग के लिए दूरसंचार नेटवर्क की तैयारी” विषय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भादूविप्रा के सदस्य श्री ऋतु रंजन मित्र ने की। इस पैनल में श्री मैग्स एवरिंग, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, एरिक्सन; श्री विनेश सुकुमार, उपाध्यक्ष (प्रोडक्ट मैनेजमेंट), क्वालकॉम; श्री पासी तोड़वानन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्ट्रैटैजिक गवर्नमेंट एवं इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स, नोकिया; तथा श्री शांतिग्राम जगन्नाथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, एनएमएस, तेजस नेटवर्क्स शामिल थे। चर्चा में दूरसंचार नेटवर्क में एआई के उपयोग तथा एआई-आधारित प्रणालियों में पारदर्शिता और व्याख्येयता को बेहतर बनाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, यह भी रेखांकित किया गया कि एआई प्रणालियों में प्रारंभ से ही उत्तरदायित्व को समाहित करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा सुरक्षा और संरक्षा के मानकों को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।

दूसरी पैनल चर्चा “एआई-आधारित परिचालनों के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास का निर्माण” विषय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भादूविप्रा के सदस्य डॉ. एम. पी. तंगिराला ने की। इस पैनल में श्री जूलियन गोर्मन, प्रमुख (एपीएसी), जीएसएमए; डॉ. राजकुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष (बोर्ड), सी-डॉट; श्री माथन बाबू कासिलिंगम, सीटीएसओ एवं डेटा गोपनीयता अधिकारी, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड; तथा श्री सैयद तौसीफ अब्बास, वरिष्ठ उप महानिदेशक एवं प्रमुख, टीईसी, दूरसंचार विभाग शामिल थे। चर्चा के दौरान स्वचालित नेटवर्क निर्णयों में उत्तरदायित्व, एआई-आधारित उपभोक्ता संवाद में पारदर्शिता, स्पैम की रोकथाम में उत्तरदायी एआई के उपयोग के तंत्र, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नैतिक शासन ढांचे, तथा एआई से संबंधित विफलताओं—विशेष रूप से दूरसंचार एवं महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के संदर्भ में—के विश्लेषण हेतु एक व्यापक एआई घटना डेटाबेस विकसित करने के लिए मानकों की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। पैनल में उभरते 5G तथा भविष्य के 6G परिवेश में एआई के जिम्मेदार विस्तार पर भी चर्चा की गई, विशेष रूप से धोखाधड़ी की पहचान तथा उपभोक्ता-केंद्रित विश्लेषण के क्षेत्रों में इसके उपयोग पर बल दिया गया।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.22of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.22of2026.pdf)

ट्राई द्वारा DND एवं MySpeed Apps का उन्नयन — दूरसंचार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने उपभोक्ता सहभागिता को बढ़ावा देने, स्पैम संचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से **DND एवं MySpeed mobile application** के उन्नत संस्करण प्रस्तुत किए हैं। भारत में 1.3 अरब से अधिक उपभोक्ताओं वाले दूरसंचार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इन एप्लिकेशनों के माध्यम से विनियामकीय प्रक्रियाओं में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी को सरल, सुलभ और डेटा-आधारित बनाने का प्रयास किया गया है।

उन्नत **DND App** में अब बहुभाषीय इंटरफेस, अधिक सहज और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइन तथा संदर्भ संख्या के माध्यम से शिकायतों के त्वरित पंजीकरण और ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। “नो योर सेंडर” जैसी नई सुविधा तथा उन्नत प्राथमिकता प्रबंधन के माध्यम से उपयोगकर्ता टेलीमार्केटर्स की पहचान कर सकते हैं और प्रचारात्मक संचार को अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इससे अनचाही वाणिज्यिक संचार की रिपोर्टिंग को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

**MySpeed App** उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड/अपलोड स्पीड, Latency, जिटर तथा पैकेट लॉस जैसे उन्नत मानकों के आधार पर वास्तविक समय में नेटवर्क प्रदर्शन का आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही, इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग और वेब ब्राउज़िंग के लिए सिमुलेटेड परीक्षण, तथा निरंतर एवं निर्धारित परीक्षण के विकल्प भी शामिल किए गए हैं। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को गोपनीय रखा जाता है और यह भादूविप्रा की विनियामक निगरानी को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है।

ये पहलें पारदर्शिता को बढ़ाने, सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सक्रिय जन-सहभागिता पर आधारित उपभोक्ता-केंद्रित दूरसंचार ईकोसिस्टम को और अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

[https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.21of2026.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.21of2026.pdf)

# भादूविप्रा स्थापना दिवस 2026

ट्राई ने समावेशी टीवी एक्सेस और नेटवर्क स्लाइसिंग पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श के साथ स्थापना दिवस 2026 मनाया या ट्राई ने स्थापना दिवस मनाया और 1997 से विनियामक यात्रा पर प्रकाश डाला

25 फरवरी 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज स्थापना दिवस 2026 का आयोजन किया, जो 20 फरवरी 1997 को प्राधिकरण की स्थापना के 29 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया और भारत के डिजिटल संचार परिदृश्य को आकार दे रहे उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यह आयोजन दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र को दिशा देने में भादूविप्रा द्वारा वर्षों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर चिंतन का अवसर भी बना।

कार्यक्रम के दौरान दो विषयों—“हर घर तक टेलीविजन: समावेशन हेतु नीतिगत, प्रौद्योगिकीय एवं व्यावसायिक रणनीतियाँ” तथा “नेटवर्क स्लाइसिंग और नेट न्यूट्रैलिटी”—पर तकनीकी चर्चाएँ भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी द्वारा, भादूविप्रा के सदस्य (एम) श्री ऋतु रंजन मिश्र, सदस्य (टी) डॉ. एम. पी. तंगिराला तथा सदस्य (अंशकालिक) प्रो. रंजन बोस की उपस्थिति में, पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

पहला तकनीकी सत्र “हर घर तक टेलीविजन—समावेशन हेतु नीतिगत, प्रौद्योगिकीय एवं व्यावसायिक रणनीतियाँ” विषय पर आयोजित किया गया, जिसका संचालन भादूविप्रा के प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस) श्री अशोक कुमार झा ने किया। इस सत्र में टेलीविजन सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को कम करने से संबंधित रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। सत्र में श्री प्रभात, अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; श्री पद्म कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केसीसीएल; तथा प्रो. विश्वनाथ पिंगाली, आईआईएम अहमदाबाद सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। चर्चाओं के दौरान प्रसारण माध्यम की व्यापक पहुंच और प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए सार्वभौमिक सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत और प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, सेवा की गुणवत्ता और वहनीयता बनाए रखते हुए विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल पर भी विचार किया गया।

दूसरा सत्र “नेटवर्क स्लाइसिंग और नेट न्यूट्रैलिटी” विषय पर आयोजित किया गया, जिसका संचालन भादूविप्रा के सलाहकार (एनएसएल-1) श्री अखिलेश त्रिवेदी ने किया। इस सत्र में नेटवर्क स्लाइसिंग के विनियामक एवं प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर, एक खुले और भेदभाव-रहित इंटरनेट के सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई। सत्र में श्री यू.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड; श्री उमंग जिंदल, एरिक्सन; तथा श्री अनिल टंडन, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान उन्नत नेटवर्कों में डिफरेंशियल सर्विसेज की उपलब्धता तथा विकसित होती नेटवर्क संरचनाओं से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया। साथ ही, यह भी रेखांकित किया गया कि नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।



# गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

# परामर्श पत्र

1. “घरेलू लीज्ड सर्किट्स के टैरिफ की समीक्षा” पर भादूविप्रा ने परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 23 जनवरी 2026 को “घरेलू लीज्ड सर्किट्स (डीएलसी) के टैरिफ की समीक्षा” विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बाजार परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप मौजूदा डीएलसी अधिकतम टैरिफ ढांचे की समीक्षा के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करना है। इस पहल का समग्र उद्देश्य डीएलसी बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा विभिन्न क्षेत्रों और उपयोगकर्ता वर्गों के लिए डीएलसी सेवाओं तक समान और किफायती पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित टैरिफ समीक्षा में डीएलसी सेवाओं के विकसित स्वरूप को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें पॉइंट-टू-पॉइंट (P2P) तथा वीपीएन-आधारित डीएलसी शामिल हैं। इन सेवाओं को एक प्रबंधित सेवा के रूप में देखा गया है, जिसमें बैंडविड्थ, अपटाइम, लेटेंसी आदि जैसे विभिन्न सेवा मानकों का समावेश होता है। हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पर अपने लिखित सुझाव 22 फरवरी 2026 तक प्रस्तुत करें।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR\\_No.13of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR_No.13of2026.pdf)

2. “घरेलू लीज्ड सर्किट्स (डीएलसी) के टैरिफ की समीक्षा” पर परामर्श पत्र के संबंध में टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में विस्तार

20 फरवरी 2026 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 23 जनवरी 2026 को “घरेलू लीज्ड सर्किट्स (डीएलसी) के टैरिफ की समीक्षा” विषय पर परामर्श पत्र जारी किया था। इस पर हितधारकों से टिप्पणियाँ/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्व में 22 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी। उद्योग संघों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने उक्त परामर्श पत्र के संबंध में लिखित टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 2 मार्च 2026 और 9 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.23of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.23of2026.pdf)

3. “डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7वां)” की समीक्षा पर भादूविप्रा ने जारी किया परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 फरवरी 2026 को “डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7वां)” की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने “डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024” की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।

4G और 5G सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ अब डेटा उपयोग का एक बड़ा हिस्सा भवनों के भीतर ही होता है। हालांकि, उच्च आवृत्ति वाले संकेत भवन संरचनाओं के कारण अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे सेवा गुणवत्ता (QoS) सुनिश्चित करने के लिए मजबूत इन-बिल्डिंग डिजिटल अवसंरचना अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित किए हैं:

- परिष्कृत रेटिंग स्केल: संपत्तियों के बीच बेहतर अंतर स्पष्ट करने हेतु 5-स्टार प्रणाली के स्थान पर 9-स्टार रेटिंग प्रणाली (आधे सितारों सहित) का प्रस्ताव।
- निर्माण-पूर्व आकलन: निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए डिजाइन चरण पर प्रमाणन की व्यवस्था, जबकि अंतिम रेटिंग पूर्ववत निर्माण पूर्ण होने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
- संशोधित संपत्ति वर्गीकरण: वास्तविक उपयोग पैटर्न और कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने हेतु संपत्ति श्रेणियों का पुनर्संरचना।
- वैकल्पिक कनेक्टिविटी ऑडिट: संपत्ति प्रबंधकों को आधिकारिक रेटिंग के लिए आवेदन करने से पहले डिजिटल अवसंरचना का आकलन और सुधार करने में सहायता हेतु स्वैच्छिक ऑडिट की व्यवस्था।

इन प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना, उपभोक्ता जागरूकता को सुदृढ़ करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह ढांचा व्यावहारिक, मजबूत और विकसित होती डिजिटल कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.27of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.27of2026.pdf)

#### 4. भादूविप्रा द्वारा “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026” का मसौदा परामर्श हेतु जारी किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 13 मार्च 2026 “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026” का मसौदा को परामर्श हेतु जारी किया।

अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भादूविप्रा ने 19 जुलाई 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर, 2018) जारी किए थे, जिनके माध्यम से वाणिज्यिक संचार के विनियमन हेतु एक ढांचा स्थापित किया गया। इसके पश्चात टीसीसीसीपीआर, 2018 में 21 दिसंबर 2018 को संशोधन किया गया तथा बाद में 12 फरवरी 2025 को द्वितीय संशोधन जारी किया गया।

विभिन्न बैठकों एवं विचार-विमर्श के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों तथा प्रमुख एक्सेस प्रदाताओं द्वारा यूसीसी की एआई-आधारित पहचान प्रणाली के कार्यान्वयन जैसे हालिया विकासों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यकता महसूस की गई कि मौजूदा प्रावधानों में कुछ संशोधन किए जाएं तथा विनियामक ढांचे को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने हेतु कुछ नए प्रावधान भी जोड़े जाएं।

मसौदा संशोधन में उठाए गए विषयों पर लिखित टिप्पणियाँ तथा प्रति टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निर्धारित प्रारूप में अधिमानतः ई-मेल के माध्यम से [advqos@traai.gov.in](mailto:advqos@traai.gov.in) पर क्रमशः 12 अप्रैल 2026 तथा 27 अप्रैल 2026 तक भेजी जा सकती हैं।

[https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.38of2026.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.38of2026.pdf)

#### 5. “डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7वां)” की समीक्षा पर परामर्श पत्र के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में विस्तार

23 मार्च 2026 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 फरवरी 2026 को “डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7वां)” की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस पर हितधारकों से टिप्पणियाँ/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्व में 23 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी। उद्योग संघों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त परामर्श पत्र के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 मार्च 2026 कर दी गई है।

[https://www.traai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.40of2026.pdf](https://www.traai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.40of2026.pdf)



# अनुशासाएं

1. अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंडों में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर भादूविप्रा द्वारा अनुशासाएं जारी

24 फरवरी 2026 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंडों में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में अपनी अनुशासाएं जारी कीं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(a) के अंतर्गत, स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुशासाएं प्रदान करने का अनुरोध किया। इनमें लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा तथा संबंधित शर्तें शामिल हैं, विशेष रूप से वर्तमान बैंडों—800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz तथा 26 GHz—के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, डीओटी ने 6425–6725 MHz तथा 7025–7125 MHz जैसे नए-पहचाने गए बैंडों की नीलामी की व्यवहार्यता एवं समय-सीमा पर भी भादूविप्रा से अनुशासाएं मांगीं, साथ ही 600 MHz बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में नई अनुशासाएं देने का भी अनुरोध किया। इसके पश्चात, डीओटी ने भादूविप्रा से 1427–1518 MHz के बीच उपलब्ध 67 MHz स्पेक्ट्रम के लिए संभावित बैंड योजना सुझाने का अनुरोध किया, जिसमें सरकारी उपयोगकर्ता को 24 MHz का सतत ब्लॉक आवंटित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखने को कहा गया।

इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने 30.09.2025 को अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंडों में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर एक परामर्श पत्र जारी किया, ताकि उसमें उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें। प्रारंभ में, टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 28.10.2025 और 11.11.2025 निर्धारित की गई थीं। तथापि, उद्योग संघों एवं अन्य हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ बढ़ाकर क्रमशः 04.11.2025 और 18.11.2025 कर दी गईं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में 19 हितधारकों ने टिप्पणियाँ तथा 12 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, भादूविप्रा ने 12.12.2025 को वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (OHD) भी आयोजित की।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.25of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.25of2026.pdf)

2. भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 5 फरवरी 2026 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। इन विनियमों के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं, जिन पर 64 टिप्पणियाँ तथा 03 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.17of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.17of2026.pdf)

3. भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश एवं लेखा पृथक्करण विनियमों के प्रावधानों में संशोधन जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 24 मार्च 2026 को निम्नलिखित संशोधन जारी किए:

- दूरसंचार टैरिफ (बहतरवाँ संशोधन) आदेश, 2026
- लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026

इस संबंध में, मसौदा दूरसंचार टैरिफ आदेश (72वाँ संशोधन), 2025 तथा मसौदा लेखा पृथक्करण (संशोधन) विनियम, 2025 को 16.10.2025 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर परामर्श हेतु जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में, भादूविप्रा को दोनों परामर्शों पर हितधारकों से प्रत्येक में 08 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।


हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने दूरसंचार टैरिफ (बहतरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 तथा लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप प्रदान किया है।

वित्तीय हतोत्साहन से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है। इन संशोधनों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: (i) विनियामक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय निरुत्साहन को चरणबद्ध तरीके से लागू करना; (ii) वित्तीय निरुत्साहन की राशि में संशोधन करते हुए कुल वित्तीय हतोत्साहन पर एक अधिकतम सीमा निर्धारित करना; (iii) वित्तीय हतोत्साहन के विलंबित अथवा गैर-भुगतान की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.43of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.43of2026.pdf)

# ओपन हाउस चर्चा

इंटरनेट से संबंधित भादविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा पर परामर्श पत्र के संदर्भ में 28.01.2026 को ओपन हाउस चर्चा (OHD) का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया:



# निर्देश

• भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27.01.2026 को एक निर्देश जारी किया, जिसके माध्यम से दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (TCCCPR) के तहत निगरानी, सत्यापन एवं प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया गया। इसके अंतर्गत सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा संशोधित, व्यापक तथा समयबद्ध मासिक प्रदर्शन निगरानी रिपोर्टों का अनिवार्य प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया गया है, जिसमें द्वितीय संशोधन के माध्यम से शामिल उन्नत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को समाहित किया गया है। इससे अनचाही वाणिज्यिक संचार (UCC) नियंत्रण उपायों की प्रभावी निगरानी, वास्तविक समय में विनियामक अभिगम, तथा प्रेषकों की बेहतर पहचान और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

• भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 तथा दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 के अंतर्गत 12.03.2026 को एक निर्देश जारी किया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की पहुँच को बेहतर बनाना है। इसके तहत सेवा प्रदाताओं को अपनी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशनों के होमपेज पर प्रमुखता से “कस्टमर केयर” लिंक प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें शिकायत केंद्रों, टोल-फ्री नंबर, शिकायत प्रक्रिया, समय-सीमा तथा अपीलीय प्राधिकरणों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यह जानकारी अद्यतन, आसानी से सुलभ तथा बहुभाषीय रूप में उपलब्ध होना आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, प्रमाण सहित, पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।



जन-जागरूकता पहल

# भवनों की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग पर भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सेमिनार का आयोजन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा “भवनों की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग” विषय पर सेमिनार आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इन सेमिनारों में विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI), अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद, रेटिंग एजेंसियाँ, अवसंरचना सेवा प्रदाता तथा दूरसंचार सेवा प्रदाता शामिल थे। यह सहभागिता चर्चाओं में व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	शहर	तिथि
1	हैदराबाद	हैदराबाद	24 फरवरी 2026
2	भोपाल	रायपुर	26 फरवरी 2026
3	कोलकाता	गुवाहाटी	19 मार्च 2026
4	दिल्ली	दिल्ली	23 मार्च 2026
5	जयपुर	जयपुर	24 मार्च 2026
6	बेंगलुरु	बेंगलुरु	25 मार्च 2026



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 24 फरवरी 2026 को ग्रीन पार्क होटल, अमीरपेट, हैदराबाद में सेमिनार आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 26 फरवरी 2026 को होटल हयात, रायपुर (छत्तीसगढ़) में सेमिनार आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 19 मार्च 2026 को होटल नोवोटेल, गुवाहाटी (असम) में सेमिनार आयोजित किया गया।



भादूप्रिा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 23 मार्च 2026 को अंदाज़ दिल्ली एवं हयात दिल्ली रेसिडेंसेस, एरोसिटी में सेमिनार आयोजित किया गया।



भादूप्रिा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 24 मार्च 2026 को इंटरनेशनल सेंटर, संस्थान पथ, जेएलएन मार्ग, जयपुर में सेमिनार आयोजित किया गया।



भादूप्रिा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 25 मार्च 2026 को होटल चांसरी पैविलियन, बेंगलुरु में सेमिनार आयोजित किया गया।

# संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) के साथ बैठक

14 जनवरी 2026 को भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय, दूरसंचार एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के प्रमुख विनियामकों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा सीओएआई, मेटा एवं जीएसएमए जैसे विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य स्पैम, धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड के विरुद्ध समन्वित प्रयासों की समीक्षा करना तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाना था। भादूविप्रा के अध्यक्ष ने 1600-श्रृंखला नंबरिंग के सफल कार्यान्वयन को रेखांकित करते हुए यह दोहराया कि सभी वाणिज्यिक संचार निर्धारित 140 एवं 1600 श्रृंखला के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। उन्होंने इस व्यवस्था के व्यापक स्तर पर अपनाने और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। समिति ने डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन (DCA) पायलट के सफल समापन की समीक्षा की और इसके चरणबद्ध व्यावसायिक कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें बैंकों में प्रारंभिक विस्तार, व्यापक बीएफएसआई क्षेत्र में प्रसार, TRAI-RBI पर्यवेक्षण के अंतर्गत डीएलटी के विस्तार हेतु सहमति मांग के आकलन, तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त संचालन समिति के गठन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से डीएनडी मोबाइल एप्लिकेशन के बीटा संस्करण के लॉन्च का भी उल्लेख किया गया। चर्चाओं के दौरान दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग, उद्योग के भीतर समन्वय, एआई-आधारित स्पैम पहचान तंत्र, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) एवं चक्षु प्लेटफॉर्म से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर धोखाधड़ी के पैटर्न के विश्लेषण, आवश्यकतानुसार केवाईसी पुनः सत्यापन, तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के बीच संरचित सूचना-साझाकरण ढांचे की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक का समापन समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई पर बल देते हुए तथा उपभोक्ताओं को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग को और मजबूत करने के संकल्प के साथ किया गया।




स्पैम के विरुद्ध की  
गई कार्रवाई

# भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2025 में स्पैम पर की गई कार्रवाई का विवरण जारी — यूसीसी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने पर बल

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के विरुद्ध अपनी कार्रवाई को और सख्त करते हुए वर्ष 2025 के दौरान बिना पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को 7.31 लाख से अधिक नोटिस जारी किए। सुदृढ़ किए गए प्रवर्तन ढांचे के अंतर्गत, भादूविप्रा ने लगभग 4.73 लाख संस्थाओं पर एक माह की संचार प्रतिबंध की कार्रवाई की। बार-बार उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और कड़े कदम उठाते हुए, लगभग 90,000 संस्थाओं पर छह माह के संचार प्रतिबंध लगाए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान अनुपालन न करने के कारण 1.84 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों को भी डिस्कनेक्ट किया गया।


## UTM ENFORCEMENT METRICS:



इन प्रवर्तन कार्रवाइयों की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) ईकोसिस्टम के माध्यम से उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी रहा है।

- शिकायतों की संख्या: यूसीसी से संबंधित कुल शिकायतें 31.09 लाख तक पहुँचीं, जिनमें से 50% से अधिक (17.06 लाख) शिकायतें डीएनडी ऐप के माध्यम से दर्ज की गईं।
- एप्लिकेशन की वृद्धि: डीएनडी ऐप के इंस्टॉलेशन में वर्ष-दर-वर्ष 84.43% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 28.08 लाख हो गई।

## DND ADOPTION TREND PAST 5 YEARS



भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम पर नियंत्रण के संदर्भ में “स्पष्ट रूप से अनुभव होने वाला सुधार” प्रदान करना है। आगे बढ़ते हुए, भादूविप्रा अनधिकृत वाणिज्यिक संचार को समाप्त करने के लिए एआई-आधारित पहचान तंत्र तथा ब्लॉकचेन-आधारित पंजीकरण प्रणाली पर आधारित द्वि-आयामी रणनीति को लागू करना जारी रखेगा।

[https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.20of2026.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.20of2026.pdf)

# विभिन्न आयोजनों में भादूविप्रा

## अंतरराष्ट्रीय

1. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने MWC26 में आयोजित मंत्रीस्तरीय सत्र “आस्क द रेगुलेटर” में भाग लिया। इस दौरान स्पेक्ट्रम नीति, सुरक्षा उपायों तथा तकनीकी-तटस्थ ढांचे के अंतर्गत सैटेलाइट एवं डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।



2. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने MWC26 में आयोजित मंत्रीस्तरीय गोलमेज चर्चा “सैटेलाइट सेवाओं के लिए समन्वित नीतिगत ढांचे की ओर” में भाग लिया। इस चर्चा में एलईओ सैटेलाइट सेवाओं के लिए विनियामक तैयारी तथा नवाचार को समर्थन देने हेतु नीतिगत ढांचों के अनुकूलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।



3. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने बार्सिलोना में आयोजित MWC26 के दौरान गोलमेज चर्चा “एआई तत्परता में तेजी: वैश्विक प्रभाव के लिए सहयोग” में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत के संतुलित दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्तरदायित्व और विश्वास को भी समान महत्व दिया जाता है।




4. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने भादूविप्रा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बार्सिलोना में आयोजित MWC-26 के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया:

(क) जीएसएमए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक, जिसका नेतृत्व श्री जूलियन गोर्मेन, प्रमुख (एपीएसी), जीएसएमए ने किया।



(ख) फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक, जिसका नेतृत्व श्री ब्रेंडन कार, अध्यक्ष, एफसीसी ने किया।



5. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने एडीआईएफ (ADIF) के साथ विचार-विमर्श किया। इस संवाद के दौरान अवसंरचना योजना तथा रेलवे संचार प्रणालियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल को अटोचा हाई-स्पीड रेल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया।



6. भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने मैड्रिड में स्पेन के दूरसंचार विनियामक निकाय नेशनल कमीशन फॉर मार्केट्स एंड कंपीशन (सीएनएमसी) के उपाध्यक्ष एंजेल गार्सिया कास्तियेहो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दूरसंचार नीति एवं विनियामक ढांचों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।



## राष्ट्रीय

### सबसी केबल्स एवं डिजिटल क्लाउड अवसंरचना पर प्रथम समेकित सम्मेलन

ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम द्वारा आयोजित सबसी केबल्स एवं डिजिटल क्लाउड अवसंरचना पर प्रथम समेकित सम्मेलन 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विशेष रूप से एआई-प्रेरित तेजी से विकसित हो रहे ईकोसिस्टम के संदर्भ में भारत के डिजिटल ढांचे को सुदृढ़ करने में सबसी केबल नेटवर्क और डिजिटल क्लाउड अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई।

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने एआई युग में सुदृढ़ डिजिटल इंडिया के निर्माण के लिए सबसी केबल्स और डिजिटल क्लाउड को अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में रेखांकित किया।



### डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026: विकसित होता दूरसंचार एवं डिजिटल अवसंरचना परिदृश्य

डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 26 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें पुनीत सिंहवी के साथ एक रोचक फायरसाइड चैट आयोजित हुई। इस कॉन्क्लेव में भारत में दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना के विकसित होते परिदृश्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान उभरते रुझानों, नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं के बीच बढ़ते अभिसरण को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।

डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 के दौरान भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने पुनीत सिंहवी के साथ एक फायरसाइड चैट में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल समाचार, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में उपभोक्ताओं की पहुँच, विश्वास और नवाचार को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कनेक्टिविटी ही आधारशिला बनी रहती है।



## ईटीगवटेक 2026: भारत के डिजिटल परिवर्तन में दूरसंचार की भूमिका

ईटीगवटेक 2026 के दौरान भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने भाग लिया और भारत के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में दूरसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सुदृढ़ अवसंरचना के विकास, 5G के तीव्र विस्तार, तथा समावेशी और भविष्य उन्मुख शासन को सक्षम बनाने के लिए दूरदर्शी नीतिगत ढाँचों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने ईटीगवटेक 2026 में भाग लेते हुए भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने में दूरसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सुदृढ़ अवसंरचना, 5G के तीव्र विस्तार, तथा समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शासन व्यवस्था को सक्षम बनाने हेतु दूरदर्शी नीतिगत ढाँचों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।



## कन्वर्जेंस इंडिया 2026: भविष्य-तैयार डिजिटल अवसंरचना की दिशा में

कन्वर्जेंस इंडिया 2026 का आयोजन 23 मार्च 2026 को दिल्ली में किया गया, जिसमें समावेशी और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस आयोजन में दूरसंचार, एआई, आईओटी तथा सैटेलाइट संचार (सैटकॉम) से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया और भारत के डिजिटल ईकोसिस्टम को आकार देने वाले नवाचारों पर विचार-विमर्श किया।

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कन्वर्जेंस इंडिया 2026 में भाग लिया तथा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर दूरसंचार, एआई, आईओटी एवं सैटेलाइट संचार (सैटकॉम) से जुड़े हितधारक एक मंच पर एकत्र हुए और समावेशी तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया।



भाद्विप्रा हिंदी

राजभाषा कार्यक्रमः

# भादूविप्रा हिंदी राजभाषा कार्यक्रमः

भादूविप्रा के राजभाषा अनुभाग के द्वारा तिमाही मार्च, 2026 (01 जनवरी से 31 मार्च, 2026) तक की गई गतिविधियों का विवरणः-

(क) प्राधिकरण में जनवरी-मार्च 2026 के लिए दिनांक 10 मार्च 2026 को दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक भादूविप्रा में ऑनलाइन माध्यम से “कार्यालयीन हिंदी में करने हेतु विभिन्न टूल्स” विषय पर एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री राकेश कुमार पाठक, पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदी कार्यशाला में वक्ता के रूप में व्याख्यान दिया गया।

कार्यशाला से संबंधित फोटो :-



# मोबाइल नेटवर्क के ड्राइव टेस्ट

## 1. दिल्ली शहर में

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान दिल्ली लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए अपने स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र तथा उच्च-गति कॉरिडोर—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक समय के प्रदर्शन का आकलन करना था। 06 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 249.1 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 08 हॉटस्पॉट स्थान, 9.6 किमी वॉक टेस्ट तथा 01 स्थान पर इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR\\_No.24of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-02/PR_No.24of2026.pdf)

## 2. बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में (बिहार लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र - एलएसए)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान बिहार लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सचिवालय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र आदि—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने समस्तीपुर जिले के शहर मार्गों पर विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 272.2 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 10 हॉटस्पॉट स्थान तथा 1.9 किमी वॉक टेस्ट शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.29of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.29of2026.pdf)

## 3. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर शहरों तथा आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) आयोजित किए। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र आदि—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। भादूविप्रा ने अपने नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 के बीच सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर शहरों में विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 338.4 किमी शहर ड्राइव परीक्षण तथा 3.8 किमी वॉक टेस्ट शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.31of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.31of2026.pdf)



4. बीकानेर शहर, नोखा एवं श्री डूंगरगढ़ नगर, देशनोक से नोरंगदेसर राजमार्ग (अमृतसर-जामनगर भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 754A) का भाग) तथा पूगल से रंजीतपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-911), बीकानेर जिला (राजस्थान एलएसए) में

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान राजस्थान लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत बीकानेर शहर, नोखा एवं श्री डूंगरगढ़ नगर, देशनोक से नोरंगदेसर राजमार्ग (अमृतसर-जामनगर भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 754A) का भाग) तथा पूगल से रंजीतपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-911) पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) के निष्कर्ष सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु जारी किए। इन ड्राइव परीक्षणों का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस एवं डेटा दोनों) की वास्तविक परिस्थितियों में गुणवत्ता का आकलन एवं सत्यापन करना था।

इन स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों (आईडीटी) के दौरान, भादूविप्रा सभी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक समय के प्रदर्शन डेटा को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) जैसे कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड एवं अपलोड गति, वॉयस गुणवत्ता आदि के आधार पर संकलित करता है। इसके लिए उन्नत परीक्षण हैंडसेट्स का उपयोग किया जाता है तथा परीक्षण सत्रों की निगरानी वास्तविक समय में की जाती है और उनका विश्लेषण उन्नत सॉफ्टवेयर प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। आईडीटी के परिणाम भादूविप्रा की वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान की जा सके और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 13.01.2026 से 16.01.2026 के दौरान राजस्थान के बीकानेर जिले में विस्तृत ड्राइव परीक्षण किए। इन परीक्षणों में बीकानेर शहर, नोखा एवं श्री डूंगरगढ़ नगरों में 293.8 किमी, देशनोक से नोरंगदेसर राजमार्ग पर 41.1 किमी तथा पूगल से रंजीतपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-911) पर 104.2 किमी की दूरी को कवर किया गया।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.28of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.28of2026.pdf)

5. पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन क्षेत्र में तटीय मार्ग पर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन क्षेत्र में हेरोभांगा, विद्याधरी और दत्ता नदियों के किनारे तटीय मार्ग पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—ग्रामीण आवासीय क्षेत्र, पर्यटन स्थल तथा स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियाँ—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 29 जनवरी 2026 को भादूविप्रा की टीमों ने हेरोभांगा, विद्याधरी एवं दत्ता नदियों के किनारे विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 41.0 किमी तटीय ड्राइव परीक्षण तथा 1 हॉटस्पॉट स्थान शामिल था। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.30of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.30of2026.pdf)

6. मध्य प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत गुना एवं अशोकनगर शहर, आसपास के क्षेत्र तथा गुना से भोपाल राजमार्ग पर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान मध्य प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत गुना एवं अशोकनगर शहरों, आसपास के क्षेत्रों तथा गुना से भोपाल राजमार्ग पर स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (IDT) आयोजित किए। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र आदि—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। भादूविप्रा ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 30 जनवरी 2026 से 02 फरवरी 2026 के बीच विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 196.7 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 201.2 किमी राजमार्ग ड्राइव परीक्षण तथा 1.5 किमी वॉक टेस्ट शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.33of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.33of2026.pdf)



## 7. मुंबई

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने जनवरी 2026 के दौरान मुंबई लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत शहर, रेलवे तथा तटीय मार्गों पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र तथा उच्च-गति कॉरिडोर—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने मुंबई में विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें कुल 214.8 किमी क्षेत्र को कवर किया गया। इसमें 201.7 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 7 हॉटस्पॉट स्थान, 3.7 किमी वॉक टेस्ट तथा 9.4 किमी तटीय ड्राइव परीक्षण शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.34of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.34of2026.pdf)

## 8. पुडुचेरी शहर एवं उससे लगे क्षेत्र (तमिलनाडु लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने फरवरी 2026 के दौरान तमिलनाडु लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत पुडुचेरी शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, ग्रामीण आवासीय क्षेत्र आदि—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 5 फरवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने 313.2 किमी पुडुचेरी शहर ड्राइव परीक्षण तथा 8 हॉटस्पॉट स्थानों पर विस्तृत परीक्षण किए। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.35of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.35of2026.pdf)

## 9. जम्मू शहर एवं दिल्ली से जम्मू राजमार्ग मार्ग पर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने फरवरी 2026 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत शहर मार्गों तथा दिल्ली से जम्मू राजमार्ग मार्ग पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र तथा उच्च-गति कॉरिडोर—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक समय के प्रदर्शन का आकलन करना था। 02 फरवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 178.2 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 620.5 किमी राजमार्ग ड्राइव परीक्षण, 06 हॉटस्पॉट स्थान, 3.5 किमी वॉक टेस्ट तथा 01 स्थान पर इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग परीक्षण शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.41of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.41of2026.pdf)

## 10. कडप्पा शहर एवं उससे लगे क्षेत्र (आंध्र प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने फरवरी 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत कडप्पा शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, ग्रामीण आवासीय क्षेत्र आदि—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 17 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने 395.6 किमी कडप्पा शहर ड्राइव परीक्षण, 5.1 किमी वॉक टेस्ट तथा 8 हॉटस्पॉट स्थानों पर विस्तृत परीक्षण किए। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.44of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.44of2026.pdf)

## 11. कोट्टायम, केरल लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने फरवरी 2026 के दौरान केरल लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत कोट्टायम में शहर, रेलवे, तटीय एवं राजमार्ग मार्गों पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र तथा उच्च-गति कॉरिडोर—में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के बीच भादूविप्रा की टीमों ने कोट्टायम में विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें कुल 503.9 किमी क्षेत्र को कवर किया गया। इसमें 306 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 10 हॉटस्पॉट स्थान, 9.2 किमी वॉक टेस्ट, 12.4 किमी तटीय ड्राइव परीक्षण तथा 176.3 किमी राजमार्ग ड्राइव परीक्षण शामिल थे। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हैंडसेट उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव का समग्र आकलन संभव हो सका।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.42of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.42of2026.pdf)

## 12. अहमदाबाद, गांधीनगर शहर एवं वडोदरा से अहमदाबाद राजमार्ग (गुजरात)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने फरवरी 2026 के दौरान गुजरात लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत अहमदाबाद, गांधीनगर शहरों तथा वडोदरा से अहमदाबाद राजमार्ग पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु जारी किए। इन आईडीटी का उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों—शहरी क्षेत्र, हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्र आदि—में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करना था। इस प्रकार के ड्राइव परीक्षण में सभी टीएसपी के सिम कार्ड्स का उपयोग करते हुए 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर लाइव डेटा एवं वॉयस सत्र स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए अनेक उन्नत परीक्षण हैंडसेट्स का उपयोग किया जाता है तथा परीक्षण सत्रों की वास्तविक समय में निगरानी और विश्लेषण उन्नत सॉफ्टवेयर प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। ड्राइव परीक्षण के दौरान एकत्रित डेटा का आगे विशेष उपकरणों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है और उसी के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। भादूविप्रा ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 02.02.2026 से 06.02.2026 के बीच गुजरात एलएसए में विस्तृत परीक्षण किए, जिनमें 462.4 किमी शहर ड्राइव परीक्षण, 14 हॉटस्पॉट स्थान, 2.5 किमी वॉक टेस्ट तथा वडोदरा से अहमदाबाद राजमार्ग पर 95.3 किमी राजमार्ग ड्राइव परीक्षण शामिल थे। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.45of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.45of2026.pdf)



# उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

जनवरी से मार्च 2026 के बीच भादूविप्रा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 15 उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (COPs) आयोजित किए। ये कार्यक्रम शहरों, जिलों, शैक्षणिक संस्थानों तथा दूरस्थ क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। उपभोक्ता जागरूकता और सहभागिता को देशव्यापी स्तर पर सुदृढ़ करने की दिशा में भादूविप्रा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई।

जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के दौरान आयोजित सीओपी का मुख्य विषय सेवा गुणवत्ता (QoS) रहा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषयों को शामिल किया गया:

- दूरसंचार क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता (QoS) संबंधी विनियम
- आईडीटी, ऑडिट एवं इन-बिलडिंग समाधान
- भवन रेटिंग
- राइट ऑफ वे (RoW) नियम
- प्रसारण क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता (QoS) संबंधी विनियम

क्र. सं.	भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय	शहर / क्षेत्र	तिथि
1	हैदराबाद	मदुरै	6 जनवरी 2026
2	जयपुर	जूनागढ़	22 जनवरी 2026
3	दिल्ली	बिलासपुर	29 जनवरी 2026
4	हैदराबाद	भुवनेश्वर	29 जनवरी 2026
5	कोलकाता	दक्षिण 24 परगना	5 फरवरी 2026
6	बेंगलुरु	कोट्टायम	10 फरवरी 2026
7	जयपुर	जयपुर	10 फरवरी 2026
8	कोलकाता	उत्तर एवं मध्य अंडमान	25 फरवरी 2026
9	कोलकाता	पश्चिम त्रिपुरा	25 फरवरी 2026
10	दिल्ली	श्रीनगर	26 फरवरी 2026
11	भोपाल	प्रयागराज	10 मार्च 2026
12	जयपुर	चंडीगढ़	18 मार्च 2026
13	बेंगलुरु	कोलार	26 मार्च 2026
14	दिल्ली	सोलन	27 मार्च 2026



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 6 जनवरी 2026 को मदुरै (तमिलनाडु) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 22 जनवरी 2026 को जूनागढ़ (गुजरात) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 29 जनवरी 2026 को बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 29 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 5 फरवरी 2026 को दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 10 फरवरी 2026 को कोट्टायम (केरल) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 10 फरवरी 2026 को जयपुर (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 25 फरवरी 2026 को उत्तर एवं मध्य अंडमान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 25 फरवरी 2026 को पश्चिम त्रिपुरा (त्रिपुरा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 26 फरवरी 2026 को श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 10 मार्च 2026 को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 18 मार्च 2026 को चंडीगढ़ (चंडीगढ़) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 26 मार्च 2026 को श्री भगवान महावीर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, कोलार, कर्नाटक में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 27 मार्च 2026 को सोलन-ओछघाट-कुमारहट्टी राजमार्ग, बोहोल, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।



भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 30 मार्च 2026 को होटल ग्रेस इन, अमरावती, महाराष्ट्र में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया गया।


# अभिदाता आधार रिपोर्ट

# दूरसंचार अभिदाता

फरवरी 2026 के अंत तक दूरसंचार अभिदाता आंकड़ों की मुख्य विशेषताएँ

विवरण	वायरलेस*	वायरलाइन	कुल (वायरलेस + वायरलाइन)
ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन)	1013.03	46.02	1059.05
शहरी टेलीफोन अभिदाता (मिलियन)	730.75	42.91	773.66
फरवरी 2026 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	5.08	0.32	5.40
मासिक वृद्धि दर	0.70%	0.75%	0.70%
ग्रामीण टेलीफोन अभिदाता (मिलियन)	542.56	5.08	547.65
फरवरी 2026 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	1.89	0.01	1.90
मासिक वृद्धि दर	0.35%	0.28%	0.35%
कुल टेलीफोन अभिदाता (मिलियन)	1273.31	47.99	1321.31
फरवरी 2026 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन)	6.97	0.34	7.31
मासिक वृद्धि दर	0.55%	0.70%	0.56%
शहरी अभिदाताओं की हिस्सेदारी	57.39%	89.41%	58.55%
ग्रामीण अभिदाताओं की हिस्सेदारी	42.61%	10.59%	41.45%
समग्र टेली-घनत्व@ (M2M सेल्युलर मोबाइल कनेक्शनों सहित)	89.30%	3.37%	92.66%
शहरी टेली-घनत्व@	142.32%	8.36%	150.68%
ग्रामीण टेली-घनत्व@	59.46%	0.56%	60.02%
टेली-घनत्व@ (M2M सेल्युलर मोबाइल कनेक्शनों के बिना)	80.99%	3.37%	84.36%

- फरवरी 2026 के दौरान 14.47 मिलियन अभिदाताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए।
- फरवरी 2026 में सक्रिय वायरलेस (मोबाइल) अभिदाताओं की संख्या (पीक VLR# की तिथि के अनुसार) 1177.60 मिलियन रही।



# ब्रॉडबैंड अभिदाता

फरवरी 2026 माह के लिए 1472 ऑपरेटरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की कुल संख्या जनवरी 2026 के अंत में 1052.72 मिलियन से बढ़कर फरवरी 2026 के अंत में 1059.05 मिलियन हो गई। इस प्रकार मासिक वृद्धि दर 0.60% दर्ज की गई।

फरवरी 2026 में श्रेणीवार ब्रॉडबैंड अभिदाता एवं मासिक वृद्धि दर

श्रेणी	अभिदाता प्रकार	जनवरी 2026 में ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन में)	फरवरी 2026 में ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन में)	प्रतिशत परिवर्तन
वायर्ड अभिदाता	फिक्स्ड वायर्ड एक्सेस (DSL, FTTx, ईथरनेट/LAN, केबल मॉडेम, ILL)	45.83	46.02	0.42%
वायरलेस अभिदाता	फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (5G FWA, वाई-फ़ाई, वाई-मैक्स, रेडियो/यूबीआर, सैटेलाइट)	15.95	16.51	3.54%
वायरलेस अभिदाता	मोबाइल वायरलेस एक्सेस (हैंडसेट/डोंगल/M2M-आधारित – 3G, 4G, 5G)	990.95	996.52	0.56%
कुल	कुल ब्रॉडबैंड अभिदाता	1052.72	1059.05	0.60%

[https://traf.gov.in/sites/default/files/2026-04/PR\\_No.46of2026\\_0.pdf](https://traf.gov.in/sites/default/files/2026-04/PR_No.46of2026_0.pdf)



“अपने कानून को जानें” श्रृंखला :  
भाद्विप्रा की स्थापना

# “अपने कानून को जानें” श्रृंखला : भादूविप्रा की स्थापना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) भारत के सबसे पुराने क्षेत्रीय विनियामकों में से एक है तथा देश के दूरसंचार विनियमन की आधारशिला माना जाता है। वर्ष 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल मामले में यह निर्णय दिया कि वायु तरंगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं तथा प्रसारण अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। इस निर्णय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार के एकाधिकार को समाप्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि निजी संस्थाओं को भी युक्तिसंगत प्रतिबंधों एवं विनियमों के अधीन प्रसारण का अधिकार प्राप्त है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा निजी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के साथ स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से सामने आई। इसी परिप्रेक्ष्य में, दूरसंचार सेवाओं के विनियमन तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण/संशोधन जैसे कार्यों, जो पहले केंद्र सरकार के अधीन थे, को विनियमित करने हेतु 20 फरवरी 1997 से एक अध्यादेश के माध्यम से भादूविप्रा की स्थापना की गई। बाद में, भादूविप्रा की स्थापना को संसद द्वारा अनुमोदित करते हुए 28 मार्च 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के रूप में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड तथा प्रसारण जैसी सेवाओं की प्रभावी और सुव्यवस्थित उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भादूविप्रा की स्थापना एवं कार्यप्रणाली भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3, 4 एवं 5 के प्रमुख प्रावधानों द्वारा संचालित होती है।

अधिनियम की धारा 3 प्राधिकरण की स्थापना एवं उसके निगमित स्वरूप से संबंधित प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है: “(1) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त की जाने वाली तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाएगा। (2) यह प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर प्राप्त होगी, और जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निपटान करने, अनुबंध करने तथा अपने नाम से वाद दायर करने अथवा अपने विरुद्ध वाद दायर किए जाने का अधिकार होगा। (3) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। (4) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।”

धारा 4 अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है: “प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखांकन, विधि, प्रबंधन अथवा उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान तथा व्यावसायिक अनुभव हो; परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में है अथवा रह चुका है, उसे—(क) अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने भारत सरकार में सचिव अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उसके समकक्ष पद धारण न किया हो; अथवा (ख) सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उसके समकक्ष पद धारण न किया हो; परंतु यह भी कि कोई व्यक्ति, जो सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा में है अथवा रह चुका है, उसकी नियुक्ति—(क) अध्यक्ष के रूप में तभी की जाएगी, यदि उसके पास कम-से-कम तीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो तथा उसने इस धारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित किसी कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया हो; अथवा (ख) सदस्य के रूप में तभी की जाएगी, यदि उसके पास कम-से-कम पच्चीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो तथा उसने इस धारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित किसी कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया हो।”

धारा 5 अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान करती है, ताकि उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय अथवा अन्य हित न हो, जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। पूर्णकालिक पद ग्रहण करने से पूर्व सदस्यों के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है, जिससे कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्रता को और सुदृढ़ किया जा सके।

अधिनियम सेवा शर्तों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष अथवा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उन्हें प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अधिनियम में त्यागपत्र, विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत पद से हटाए जाने तथा रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। विशेष रूप से, हितों के टकराव को रोकने के उद्देश्य से “कूलिंग-ऑफ” अवधि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य, पद छोड़ने के बाद दो वर्ष तक केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी दूरसंचार कंपनी में पूर्व स्वीकृति के बिना कोई रोजगार स्वीकार नहीं कर सकते।

इस प्रकार, धारा 3, 4 एवं 5 भादूविप्रा को एक वैधानिक विनियामक निकाय के रूप में स्थापित करती हैं। आम नागरिकों के लिए इसका अर्थ है—दूरसंचार सेवाओं का बेहतर प्रशासन, सेवा गुणवत्ता में सुधार, उचित एवं पारदर्शी टैरिफ व्यवस्था तथा तीव्र गति से विकसित और अधिकाधिक डिजिटल रूप से जुड़ती दुनिया में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण।

क्षमता निर्माण

# कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनवरी से मार्च 2026 के दौरान भादूविप्रा मुख्यालय में नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम हेतु भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों को वक्ता के रूप में नामित किया गया। विवरण निम्नानुसार है:

सत्र
उद्घाटन सत्र
● भादूविप्रा का अवलोकन एवं संगठनात्मक संरचना
● क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
● परिचय सत्र
● विधिक प्रभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व
● दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता हेतु विधिक ढांचा
● भादूविप्रा अधिनियम का संक्षिप्त परिचय
● परामर्श पत्र, अनुशांसाओं एवं विनियमों की प्रक्रिया
● एनएसएल-II द्वारा देखे जा रहे कार्य एवं प्रचलित विषयों का परिचय
● बीबी एंड पीए द्वारा देखे जा रहे कार्य एवं प्रचलित विषयों का परिचय
● उपभोक्ता-केंद्रित गतिविधियाँ
● उपभोक्ता कार्य (सीए) प्रभाग द्वारा देखे जा रहे कार्य एवं प्रचलित विषय
● विनियमों का कार्यान्वयन एवं उनका अनुपालन
● सेवा गुणवत्ता (QoS) प्रभाग द्वारा देखे जा रहे कार्य एवं प्रचलित विषय
● सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग की कार्यप्रणाली एवं प्रचलित विषय
● भादूविप्रा के एप्लिकेशन एवं पोर्टल्स
● प्रसारण क्षेत्र का अवलोकन
● टैरिफ एवं इंटरकनेक्शन संबंधी विषय
● सेवा गुणवत्ता
● परिचय सत्र
● टैरिफ संबंधी विषय
● वित्तीय विश्लेषण
● बजट एवं लेखा
● समापन सत्र

# भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान गतिविधि केंद्र

भादूविप्रा द्वारा “क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन” पर कार्यशाला आयोजित  
— राष्ट्रीय सुरक्षा, मानकीकरण एवं माइग्रेशन रणनीतियों पर विशेष जोर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने नई दिल्ली स्थित भादूविप्रा मुख्यालय में “क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन” विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक निकायों, मानकीकरण संगठनों, उद्योग संघों तथा उभरते क्वांटम प्रौद्योगिकी उद्यमों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान क्वांटम युग में दूरसंचार नेटवर्क की सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु नीतिगत, सुरक्षा एवं परिचालन संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी, पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक संक्रमण रणनीतियों, वैश्विक मानकीकरण पहलों तथा क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की ओर माइग्रेशन के लिए आवश्यक ईकोसिस्टम समन्वय जैसे विषयों पर संरचित चर्चाओं का मंच बना। विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि दूरसंचार अवसंरचना में उपयोग की जा रही पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों के दीर्घकालिक जोखिमों से निपटने के लिए समय रहते और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.37of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.37of2026.pdf)

भादूविप्रा द्वारा मेसर्स क्वालकॉम इंडिया प्रा. लि. के सहयोग से “एआई अपस्किंग एवं एप्लिकेशन डेवलपमेंट” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने मेसर्स क्वालकॉम इंडिया प्रा. लि. के सहयोग से 17 एवं 18 मार्च 2026 को भादूविप्रा मुख्यालय में “एआई अपस्किंग एवं एप्लिकेशन डेवलपमेंट” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की तकनीकी दक्षताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग तथा मोबाइल एप्लिकेशन विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में सुदृढ़ करना था। दो दिनों तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक सत्रों के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास भी शामिल किए गए, जिससे प्रतिभागियों को एआई प्रौद्योगिकियों के वास्तविक उपयोग संबंधी पहलुओं की गहन समझ प्राप्त हुई। क्वालकॉम के विशेषज्ञों ने उद्योग में उभरते रुझानों, विभिन्न उपकरणों तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर जानकारी साझा की, जिससे नीति और प्रौद्योगिकी के बीच की दूरी को कम करने में सहायता मिली।

यह पहल दूरसंचार एवं डिजिटल ईकोसिस्टम से जुड़ी निरंतर विकसित होती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु अपने अधिकारियों को उन्नत डिजिटल कौशलों से सुसज्जित करने और सतत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के प्रति भादूविप्रा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



भादूविप्रा द्वारा 27 मार्च को “C-V2X टेक्नोलॉजी” पर व्याख्यान आयोजित

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 मार्च 2026 को “C-V2X टेक्नोलॉजी” विषय पर ढाई घंटे का एक व्याख्यान आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा संचालित तीन सत्र शामिल थे। पहला सत्र क्वालकॉम के पुनीत राठौड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स (ITS) से संबंधित वैश्विक प्रथाओं, प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम तथा C-V2X के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर चर्चा की गई। दूसरा सत्र सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के प्रशांत बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में V2X की वर्तमान स्थिति एवं उसके अपनाए जाने की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। तीसरा सत्र डैनलॉ टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के रोजर बाबू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें C-V2X के अनुप्रयोगों, उपयोग परिदृश्यों, सुरक्षा संबंधी पहलुओं तथा फील्ड ट्रायल्स से प्राप्त प्रमुख अनुभवों पर विस्तृत जानकारी दी गई।



मानव संसाधन  
(एच.आर. कॉर्नर)

# रक्ति परिपत्र

- विदेशी सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिव-भादूविप्रा, सलाहकार तथा क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल) हेतु संयुक्त सलाहकार के पदों को भरने के लिए 4 रक्ति परिपत्र जारी किए गए।
- संविदा के आधार पर वरिष्ठ एसोसिएट कंसल्टेंट ग्रेड-1, एसोसिएट कंसल्टेंट तथा कंसल्टेंट (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) के पदों को भरने हेतु 4 रक्ति परिपत्र जारी किए गए।
- स्थानांतरण: भादूविप्रा मुख्यालय में कार्यरत पाँच अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्वयन किया गया।
- अधिवर्षिता: इस अवधि के दौरान एक अधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर भादूविप्रा की सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
- भादूविप्रा मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति एवं संविदा के आधार पर कंसल्टेंट्स की नियुक्ति
- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति: दो अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भादूविप्रा में शामिल हुए [एक प्रधान सलाहकार / एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी]।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों में एक कंसल्टेंट (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी), दो वरिष्ठ एसोसिएट कंसल्टेंट तथा पाँच एसोसिएट कंसल्टेंट नियुक्त किए गए।
- भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति एवं संविदा के आधार पर कंसल्टेंट्स की नियुक्ति
- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति: इस अवधि के दौरान एक अधिकारी [संयुक्त सलाहकार] प्रतिनियुक्ति के आधार पर भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु में शामिल हुए।
- विदा के आधार पर नियुक्ति: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों [जयपुर, हैदराबाद एवं कोलकाता] में तीन कंसल्टेंट (यंग प्रोफेशनल्स) नियुक्त किए गए।



अन्य  
गतिविधियाँ

## 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें प्राधिकरण की गतिविधियों, प्रमाणित लेखों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट का विवरण शामिल है, को 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा तथा 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा के पटल पर रखा गया।

भादूविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट में दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा, नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण, भादूविप्रा के कार्य एवं संचालन की समीक्षा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित भादूविप्रा के कार्यों का विवरण तथा वित्तीय प्रदर्शन सहित संगठनात्मक विषयों को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2024-25 के लिए भादूविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति आम जनता की जानकारी हेतु भादूविप्रा की वेबसाइट ([www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)) पर उपलब्ध कराई गई है।

[https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR\\_No.03of2026.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/2026-01/PR_No.03of2026.pdf)

## 2. भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026 जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026 जारी किया।

प्राधिकरण के साथ विभिन्न बैठकों एवं विचार-विमर्श के दौरान हितधारकों ने निम्नलिखित आवश्यकताओं को रेखांकित किया था:

- इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 (संशोधित रूप में) तथा ऑडिट मैनुअल में ऑडिट संबंधी प्रावधानों में सुधार;
- डीपीओ के बार-बार होने वाले ऑडिट को कम करना, जिससे संसाधनों की अनावश्यक खपत, परिचालन संबंधी व्यवधान तथा ऑडिट प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं;
- ऑडिट ढांचे में अवसंरचना साझाकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना; तथा
- ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु ऑडिटों की जवाबदेही बढ़ाना तथा उनके अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण करना।

ऑडिट प्रक्रिया की जवाबदेही एवं विश्वसनीयता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा द्वारा 26 अगस्त 2025 को ऑडिटों के पैल गठन हेतु जारी अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) दस्तावेज़ में तकनीकी दक्षता संबंधी आवश्यकताओं, अनुभव के आधार पर ऑडिटों के वर्गीकरण तथा उन्नत जवाबदेही संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।

एक मसौदा जारी कर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के यूआरएल शॉर्टनर्स के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि तृतीय-पक्ष यूआरएल के दुरुपयोग को रोका जा सके। साथ ही, एसएमएस टेम्पलेट्स में यूआरएल एवं कॉलबैक नंबरों की प्रभावी स्क्रबिंग सुनिश्चित करने हेतु एक टैगिंग प्रणाली भी लागू की जाएगी। भादूविप्रा का उद्देश्य चक्षु पोर्टल के माध्यम से TAU रिपोर्टों के प्रबंधन को स्वचालित बनाना है तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं के प्रकटीकरण की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। 1600-श्रृंखला में पूर्ण माइग्रेशन हेतु एक सख्त अंतिम समय-सीमा (सनसेट डेट) निर्धारित की जाएगी तथा प्रचारात्मक कॉल केवल 140-श्रृंखला के माध्यम से ही किए जाने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी-रोधी पहलों एवं डेटा साझाकरण से संबंधित विषयों पर गूगल, मेटा एवं जीएसएमए के साथ सहयोगात्मक चर्चाएँ आयोजित की जाएंगी। अंततः, भादूविप्रा उपभोक्ता जागरूकता अभियानों में योगदान देने हेतु उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.36of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.36of2026.pdf)

## विविध

अक्टूबर – दिसंबर 2025 तिमाही हेतु “भारतीय दूरसंचार सेवाएँ प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट” संबंधी प्रेस विज्ञप्ति

भादूविप्रा ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए “भारतीय दूरसंचार सेवाएँ प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट” जारी की। यह रिपोर्ट भारत में दूरसंचार सेवाओं का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करती है तथा 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान दूरसंचार सेवाओं के साथ-साथ केबल टीवी, डीटीएच एवं रेडियो प्रसारण सेवाओं के प्रमुख मानकों और वृद्धि प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।

[https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR\\_No.32of2026.pdf](https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2026-03/PR_No.32of2026.pdf)

Full details of the Directions/Orders/Consultation Paper/Report, Subscription Data, etc. mentioned in this newsletter are available on



We are also on Facebook! Join us!  
<https://www.facebook.com/TRAI/>



TRAI's website  
[www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)



We are also on Twitter! Follow us!  
[@TRAI](https://twitter.com/TRAI)



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
**Telecom Regulatory Authority of  
India**

4<sup>th</sup> to 7<sup>th</sup> Floor, Tower - F  
World Trade Centre  
Nauroji Nagar, New Delhi (India) - 110029

